# मध्यप्रदेश विधान सभा

## अगस्त-सितम्बर, 1996 सत्र

# दैनिक कार्य-सूची

**शुक्रवार, दिनांक २३ अगस्त, १९९६ (भाद्र १, १९१८)**

**समय १०.३० बजे दिन.**

### १. प्रश्नोत्तर.

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

### २. नियम १३८ (१) के अधीन ध्यान आकर्षण.

(१) सर्वश्री लक्ष्मीकांत शर्मा, रामनिवास रावत, बच्चन नायक, सदस्य, मुरैना जिले में डकैतों के आतंक की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(२) श्रीमती सुधा जैन, सदस्य, सागर नागरिक सहकारी बैंक द्वारा खातेदारों के साथ धोखाधड़ी किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(३) सर्वश्री बच्चन नायक, रामलखन शर्मा, ओंकार प्रसाद तिवारी, सदस्य, जबलपुर जिले के बरही थानान्तर्गत कुटेश्वर लाइम स्टोन माइन्स के श्रमिकों के साथ मारपीट किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(४) श्री दाऊराम रत्नाकर, श्रीमती सुधा जैन, डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य, सागर जिले के ग्राम-चील पहाड़ी की दो अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ बलात्कार होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(५) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, सीहोर वन मंडल में लाखों पौधे वन कर्मियों की लापरवाही से नष्ट होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(६) श्री धरमू राय, सदस्य, सागर जिले की खुरई तहसील के तहसीलदार द्वारा सहायता राशि वितरण में अनियमितताएं किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (राजस्व) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(७) सर्वश्री बच्चन नायक, रामलखन शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य, खण्डवा जिले के ग्राम बेड़िगांव की दो बालिकाओं को जिन्दा जलाये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(८) श्री घनश्याम सिंह, सदस्य, दतिया जिले के ग्राम झाड़िया के हार में वन कर्मियों द्वारा आदिवासी महिलाओं के साथ मारपीट किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(९) श्री बनवारीलाल अग्रवाल, सदस्य, बिलासपुर जिले के ग्राम चन्द्रनगर में साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के प्रबंधकों द्वारा कराये जा रहे बारूदी विस्फोट से मकानों को हो रही क्षति की ओर राज्य मंत्री, खनिज साधन का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(१०) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, प्रेमप्रकाश पाण्डे, श्रीमती करूणा शुक्ला, सदस्य, प्रदेश में फेरो एलाइस की सभी इकाइयां बन्द हो जाने से हजारों श्रमिकों के बेरोजगार होने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

- 2-

(११) सर्वश्री ओमप्रकाश खटीक, ओंकार प्रसाद तिवारी, निर्भयसिंह पटेल, सदस्य, शिवपुरी जिले में तेन्दूपत्ता संग्रहण कार्य में अनियमितताएं होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(१२) श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा, सदस्य, बैरसिया तहसील की गेरठिया सिंचाई परियोजना की डूब से प्रभावित परिवारों को सुविधा न दिये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(१३) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, ग्वालियर के जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री द्वारा वित्तीय अनियमितताएं किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

## ३. प्रतिवेदन की प्रस्तुति.

श्री गौरी शंकर बिसेन, सदस्य, नियम समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

## ४. याचिकाओं की प्रस्तुति.

(१) श्री शैलेन्द्र प्रधान, सदस्य, राजधानी भोपाल के-

(क) अरेरा कालोनी, ई-३ सेक्टर से अवैध झुग्गियां हटाये जाने, तथा

(ख) यादगार-ए-शाहजहानी पार्क मैदान पर खेल प्रतियोगिता आयोजित कराये जाने, एवं

(२) श्री लल्लूसिंह, सदस्य, शहडोल जिले के-

(क) ग्राम कंचनपुर की हरिजन बस्ती में विद्युतीकरण कराये जाने,

(ख) ग्राम धुरवार के कुदराटोला में विद्युतीकरण कराये जाने,

(ग) ग्राम बोड़री की आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग बस्ती में विद्युतीकरण कराये जाने, तथा

(घ) ग्राम धनपुरी के कुदराटोला में विद्युतीकरण कराये जाने,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

निर्धारित समय

## ५. संविहित संकल्प.

१५ मिनिट

श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, संसदीय कार्य मंत्री, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

"यह सदन मध्य प्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, १९७२ (क्रमांक ७ सन् १९७३) की धारा ६-क की उपधारा (३) के साथ पठित धारा ९ की उपधारा (२) के खण्ड (ककक) के अन्तर्गत मध्य प्रदेश विधान सभा सदस्य पेंशन नियम, १९७७ में किए गए संशोधनों का, जो संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक १३८५-फा-एक(२)५७-अड़तालीस-९० (सं.का.), दिनांक ३ जुलाई, १९९६ द्वारा मध्य प्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक ३२४, दिनांक ८ जुलाई, १९९६ में प्रकाशित किए गए हैं, उक्त अधिनियम की धारा ९ की उपधारा (३) के अनुसरण में अनुमोदन करता हैं."

## ६. नियम १३९ के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा.

१ घन्टा ३० मिनिट

प्रदेश में पेयजल की कमी एवं दूषित पेयजल से संक्रामक बीमारियां फैलने के कारण कई व्यक्तियों की मृत्यु होने के संबंध में सर्वश्री रामलखन शर्मा, बच्चन नायक, सुरेन्द्र वर्मा, गिरिराज मण्डलोई, गोपाल परमार, नेमीचंद जैन, रणजीत सिंह गुणवान, घनश्याम पाटीदार, डॉ. गोविंद सिंह, लक्ष्मीकांत शर्मा, बृजमोहन अग्रवाल, गोपीकृष्ण नेमा, रघुनन्दन शर्मा, प्रेम प्रकाश पाण्डेय, छत्रपति सिंह, निर्भय सिंह पटेल एवं बनवारीलाल अग्रवाल, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

269



निर्धारित समय

## ७. अशासकीय विधि विषयक कार्य.

३० मिनिट डॉ. विजय सिंह राजपूत, सदस्य, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक, १९९६ (क्रमांक ८ सन् १९९६) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

## ८. अशासकीय संकल्प.

(१) श्री चिरोंजी लाल सोनकर, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

२५ मिनिट "सदन का यह मत है कि हैण्डपंप संधारण एवं नलजल योजनाओं के दायित्व से पंचायतों को मुक्त कर पूर्ववत् व्यवस्था बहाल की जाय."

(२) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

२० मिनिट "सदन का यह मत है कि राज्य शासन अश्लील साहित्य, सामग्री एवं संसाधन के उपयोग पर रोक लगाने हेतु आगे आवे."

(३) श्री बच्चन नायक, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

२५ मिनिट "सदन का यह मत है कि प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड मुख्यालय में सर्व सुविधा युक्त चिकित्सालय खोला जाये."

(४) श्री कमल पटेल, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

२५ मिनिट "सदन का यह मत है कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत विधायकों को प्रति वर्ष रूपये २० लाख की राशि के स्थान पर रूपये ५० लाख तक की राशि के कार्य अनुशंसित करने का अधिकार दिया जाये."

(५) श्री रमाशंकर भारद्वाज, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

२५ मिनिट "सदन का यह मत है कि प्रदेश की कृषि उपज मंडियों से प्राप्त मंडी शुल्क की राशि का उपयोग उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के सड़क निर्माण पर किया जाये."

## ९. नियम ५२ के अधीन आधे घन्टे की चर्चा.

(१) दिनांक ९ अगस्त, १९९६ को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १६ (क्रमांक १५२६) के उत्तर से उद्भूत विषय पर डॉ. गौरीशंकर शेजवार, सदस्य , चर्चा उठायेंगे.

(२) दिनांक २५ मार्च, १९९६ को ऊर्जा मंत्री से पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ७२ (क्रमांक ७४२२) के उत्तर से उद्भूत विषय पर डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

अशोक चतुर्वेदी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल.
दिनांक २२ अगस्त, १९९६.